

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:-एफ.4(ई)(ए-2023)/अलेसे-III/10317 दिनांक:-18.12.25

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 242/2024-25 दिनांक 11.01.2025 के द्वारा श्री अमित शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 735314 बैच 2023) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए कार्यालय कोषाधिकारी (शहर) जयपुर में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री अमित शर्मा द्वारा दिनांक 13.01.2025 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण किया गया। वर्तमान में विभागीय आदेश संख्या 264/2025-26 दिनांक 06.04.2025 के द्वारा श्री अमित शर्मा का पदस्थापन कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल-जयपुर (जन स्वास्थ्य अभि. विभाग जल भवन, जयपुर) में किया गया है।

श्री अमित शर्मा ने राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल-जयपुर (जन स्वास्थ्य अभि. विभाग जल भवन, जयपुर) के पत्र दिनांक 16.12.2025 के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2025 इस विभाग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि उनका राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में "कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता" के पद पर चयन होने पर उन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के वर्तमान धारित पद से कार्यमुक्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतः श्री अमित शर्मा को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर वर्तमान धारित कनिष्ठ लेखाकार के पद से त्याग-पत्र स्वीकार करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री अमित शर्मा अपने वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही नव पदस्थापन स्थान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में "कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता" के पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। इनके कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी समस्त अधिकार समाप्त किये जाते हैं।


(संध्या शर्मा),
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव
दिनांक:-18.12.2025

क्रमांक:-एफ.4(ई)(ए-2023)/अलेसे-III/10317
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय कोषाधिकारी (शहर) जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री अमित शर्मा, कनि. लेखाकार कार्यालय पता 46, शंकर विहार-ए, मुरलीपुरा, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
5. पदस्थापन सीटी/निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III) 18/12/25